प्रेस नोट थाना बण्डा

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक 03.09.2026

थाना बण्डा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 546 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम, 02 मोबाइल फोन एवं 01 काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा के नेतृत्व में वांछित/वारण्टी एवं जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी/तलाश, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्रों की रोकथाम तथा अफीम/चरस के बिक्री एवं निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं गश्त के दौरान दिनांक 03.09.2026 को थाना बण्डा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.09.2026 को थाना बण्डा पुलिस द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था, रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर समय करीब 00:45 बजे टेड़ा पुल से सिकन्दरपुर जाने वाले मार्ग से 02 अभियुक्तों 1. तस्लीम पुत्र हाकिम अली, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम कटईया, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर एवं 2. तनिष्क सक्सेना पुत्र रामप्रकाश, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम हथगांव, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 546 ग्राम अवैध अफीम, 02 मोबाइल फोन, ₹290 नगद तथा एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर थाना बण्डा पर मु0अ0सं0 412/2026 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 श्री अमर कान्त सिंह द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. तस्लीम पुत्र हाकिम अली उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम कटईया, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर।
2. तनिष्क सक्सेना पुत्र रामप्रकाश उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम हथगांव, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 412/2026 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट एक्ट थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।

आपराधिक इतिहास(तनिष्क)-

मु0अं0सं0 757/2018 धारा 376,511,506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

दिनांक 03.09.2026 को समय करीब 00:45 बजे टेड़ा पुल से सिकन्दरपुर जाने वाले मार्ग पर से

बरामदगी का विवरणः-

1. 546 ग्राम अवैध अफीम, सफेद रंग की पॉलिथीन में, जिस पर खाकी रंग का टेप चिपका हुआ था।
2. 02 अदद मोबाइल फोन।
3. ₹290 रुपये नगद।
4. 01 अदद काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल।

पूछताछ अभियुक्तगण –

गिरफ्तार अभियुक्तगण 1. तस्लीम पुत्र हाकिम अली, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम कटईया, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर एवं 2. तनिष्क सक्सेना पुत्र रामप्रकाश, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम हथगांव, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर से संयुक्त रूप से पूछताछ की गई। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे झारखंड के कुछ व्यक्तियों से कम दामों में नशीला पदार्थ अफीम खरीदते हैं तथा हाईवे पर अलग-अलग स्थानों पर लोगों एवं ट्रक चालकों को उक्त अफीम बेचते हैं। अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि वे हाईवे किनारे खड़े होकर अनजान ट्रक चालकों को भी अफीम की बिक्री कर चुके हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीमः –

1. श्री ब्रजेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।
2. श्री विनीत कुमार, व0उ0नि0, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।
3. हे0का0 492 यशवीर सिंह, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।
4. हे0का0 241 रामसंजीवन, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।
5. का0 2057 रोहित कुमार, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।
6. रि0का0 वंशवर्धन, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।